प्र०सं० 197/17 राजस्व

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | अमरसिंह बनाम सुल्तान सिं |
| 20/7/18 | पत्रावली पेशहुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी के वकील उप०/प्रतिवादी में वादी व उनके अधिवक्ता को कई बार रूक-रूक आवाजें लगाई गई किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से पत्रावली अदम हाजरी/पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। |

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner